

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारी:-ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 05/2025

दायर दिनांक: 07/01/2025

उनवान

1. फूलचन्द आयु 53 वर्ष पुत्र बिरधीलाल जाति धाकड
2. मांगीलाल नागर आयु 45 वर्ष पुत्र बिरधीलाल जाति धाकड
3. रघुवीर नागर आयु 38 वर्ष बिरधीलाल जाति धाकड
4. कृष्णमुरारी आयु 46 वर्ष बिरधीलाल जाति धाकड निवासीगण मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

वादीगण

बनाम

1. बिरधीलाल आयु 73 वर्ष पुत्र भैरुलाल जाति धाकड
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादी:- विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

निर्णय

दिनांक : 27.02.2025

वकील मय वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल मेरमातालाब पटवार हल्का भैंसडा तह. अटरू जिला बारां की आराजी खाता संख्या 197 का खसरा न. 675 का रकबा 1.30 है0 कुल कित्ता 1 का रकबा 1.30 हैक्टर आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्सा 1/3 दर्ज खाता चली आ रही है। वाके ग्राम एवं माल मेरमातालाब पटनार हल्का भैंसडा की आराजी खाता संख्या 196 का खसरा न. 352 का रकबा 0.02 है0 ख.न. 421 का रकबा 0.68 है0 कुल कित्ता 2 का रकबा 0.70 हैक्टर आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्सा 1/4 दर्ज खाता चली आ रही है। ग्राम एवं माल मेरमातालाब पटवार हल्का भैंसडा की आराजी खाता संख्या 195 का खसरा न. 228 का रकबा 1.67 है0, ख.न. 229/1247 का रकबा

0.05 है0, खसरा न. 233 का रकबा 0.81 है0, ख.न. 234 का रकबा 0.68 है0 कुल किता 4 का रकबा 3.21 हैक्टर आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्सा 1/7 दर्ज खाता चली आ रही है। ग्राम एवं माल मेरमातालाब पटवार हल्का भैंसडा की आराजी खाता संख्या 164 का खसरा न. 1134 का रकबा 1.28 है0, ख.न. 1135 का रकबा 0.88 है0, खसरा न. 1137 का रकबा 0.34 है0, ख.न. 1139 का रकबा 0.28 है0 कुल किता 4 का रकबा 2.78 हैक्टर आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्सा 2/3 दर्ज खाता चली आ रही है। ग्राम एवं माल मेरमातालाब पटवार हल्का भैंसडा की आराजी खाता संख्या 159 का खसरा न. 1087 का रकबा 1.28 है0, खसरा न. 1113 का रकबा 0.72 है0, खसरा न. 562 का रकबा 0.40 है0, ख.न. 569 का रकबा 0.36 है0, खसरा न. 572 का रकबा 0.37 है0 कुल किता 5 का रकबा 3.13 हैक्टर आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्सा पूर्ण दर्ज खाता चली आ रही है। वाद पत्र की मद न. 1 ता 5 में वर्णित आराजीयात को उक्त वाद में विवादग्रस्त आराजी कहा गया है। जिनकी नकल जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 वाद पत्र के साथ संलग्न है, जो काबिले गौर है। वाद पत्र की मद न. 1 ता 5 में वर्णित आराजी पैतृक संपत्ति है जो वादीगण के दादाजी भैरुलाल से प्रतिवादी क्रम 1 को विरासत में प्राप्त हुई थी। वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 के पुत्र एवं विधिक वारिसान है। इसलिए वाद पत्र की मद न. 1 ता 5 में वर्णित आराजीयात पैतृक संपत्ति होने से वाद पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से 1/3 में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/15 1/15 बनता है तथा वाद पत्र की मद न. 2 में वर्णित आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से 1/4 में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/20 1/20 बनता है तथा वाद पत्र की मद न. 3 में वर्णित आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से 1/7 में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/35 1/35 बनता है तथा वाद पत्र की मद न. 4 में वर्णित आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से 2/3 में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 2/15 2/15 बनता है तथा वाद पत्र की मद न. 5 में वर्णित आराजी में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/5 1/5 बनता है जिस पर वादीगण का जन्म से ही अधिकार है। जिसके वादीगण खातेदार कृषक घोषित होकर राजस्व रिकॉर्ड में नाम अंकन करवाने के अधिकारी है। वाद पत्र की मद न. 1 ता 5 में वर्णित आराजी में से वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी को अलग से अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन प्रतिवादी क्रम 1 से दिनांक 15/12/2024 को किया तो प्रतिवादी क्रम 1 ने अलग से नाम दर्ज करवाने से साफ़ मना कर दिया और आराजी को रहन बेचान कर खुर्द-बुर्द करने की धमकी दी। वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज नहीं होने से वादीगण को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वादीगण के.सी.सी. नहीं बनवा सकते व अन्य सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते जिससे वादीगण को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है।

जबकि वादीगण का वाद पत्र की मद न. 1 ता 5 में वर्णित आराजी में जन्म से ही हक अधिकार बनता है जिसे प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 को उनके अवैधानिक एवं अवैध कृत्य से रोका जाना संभव नहीं है। वाद कारण प्रथम व अंतिम बार दिनांक 15/12/2024 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से वाद पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में वादीगण के हिस्से को वादीगण के नाम खाते दर्ज करवाने का निवेदन करने पर प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा खाते दर्ज करवाने से स्पष्ट मना कर देने पर बमुकाम उत्पन्न हुआ। अस्तु वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणा कराने के अधिकारी है कि वाद पत्र की मद न. 1 ता 5 में वर्णित आराजी में वादीगण को हिस्से अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से अंकन करवाकर प्रतिवादीगण को जर्ज्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी क्रम 1 वाद पत्र की मद न. 1 ता 5 में वर्णित भूमि को रहन बेचान व खुर्द बुर्द नहीं करे। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रतिवादी क्रम 2 बनाया गया है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम मेरमातालाब तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की सादिर फरमाई जाए—

(अ) कि वाद पत्र की मद न. 1 ता 5 में वर्णित आराजी में वादीगण को वाद पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से 1/3 में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को हिस्सा 1/15 1/15 का तथा वाद पत्र की मद न. 2 में वर्णित आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से 1/4 में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को हिस्सा 1/20 1/20 का तथा वाद पत्र की मद न. 3 में वर्णित आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से 1/7 में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को हिस्सा 1/35 1/35 का तथा वाद पत्र की मद न. 4 में वर्णित आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से 2/3 में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को हिस्सा 2/15 2/15 का तथा वाद पत्र की मद न. 5 में वर्णित आराजी में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को हिस्सा 1/5 1/5 का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी में पृथक से खाते दर्ज किया जावे। इस हेतु प्रतिवादी क्रम 2 को आदेश प्रदान किया जाए ।

(ब) वाद पत्र की मद न. 1 व 3 ता 5 में वर्णित आराजी के रहन का नोट प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से की आराजी पर दर्ज किया जावे ।

(स) वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि उपरोक्त उनवान का प्रकरण माननीय न्यायालय में जेरकार है जिसमें आज तारीख पेशी नियत है। ग्राम एवं माल मेरमातालाब तहसील अटरू की खाता संख्या 197 की कुल किता 1 का रकबा 1.30 है० का हिस्सा 1/3 में 1/15 – 1/15 एवं खाता संख्या 196 की कुल किता 2 का रकबा 0.70 है० का हिस्सा 1/4 में 1/20 – 1/20 एवं खाता संख्या 195 की कुल किता 4 का रकबा 3.21 है० का हिस्सा 1/7 में 1/35 – 1/35 व खाता संख्या 164 की कुल किता 4 का रकबा 2.78 है० का हिस्सा 2/3 में 2/15 – 2/15 एवं खाता संख्या 159 की कुल किता 5 का रकबा 3.13 है० का हिस्सा पूर्ण में 1/5 – 1/5 वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का बनता है क्योंकि उक्त आराजी पैतृक सम्पत्ति होने से उक्त आराजी में वादीगण का जन्म से ही अधिकार है। अतः उक्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को राजीनामा के अनुसार ग्राम व माल मेरमातालाब के खाता संख्या खाता संख्या 197 की कुल किता 1 का रकबा 1.30 है० का हिस्सा 1/3 में 1/15 – 1/15 एवं खाता संख्या 196 की कुल किता 2 का रकबा 0.70 है० का हिस्सा 1/4 में 1/20 – 1/20 एवं खाता संख्या 195 की कुल किता 4 का रकबा 3.21 है० का हिस्सा 1/7 में 1/35 – 1/35 व खाता संख्या 164 की कुल किता 4 का रकबा 2.78 है० का हिस्सा 2/3 में 2/15 – 2/15 एवं खाता संख्या 159 की कुल किता 5 का रकबा 3.13 है० का हिस्सा पूर्ण में 1/5 – 1/5 को वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज किया जाकर हिस्सा राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जावें। वादीगण की माता/प्रतिवादी क्रम 1 की पत्नी श्रीमती प्रेम बाई द्वारा भी पेश राजीनामा में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई है तथा स्वयं उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किए।

राजीनामा पढकर सुनाया गया तथा सही होना स्वीकार किया वादीगण की पहचान श्री महावीर नागर एड० द्वारा तथा प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान श्री भगवान स्वरूप मंगल एडवोकेट द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा० फा० किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, विवादित आराजी ग्राम व माल मेरमातालाब के खाता संख्या खाता संख्या 197 की कुल किता 1 का रकबा 1.30 है०, खाता संख्या 196 की

कुल किता 2 का रकबा 0.70 है0, खाता संख्या 195 की कुल किता 4 का रकबा 3.21 है0, खाता संख्या 164 की कुल किता 4 का रकबा 2.78 है0 एवं खाता संख्या 159 की कुल किता 5 का रकबा 3.13 है0 प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में दर्ज है। जो पेतृक सम्पत्ति है। वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 के पुत्र-पुत्री है। उक्त विवादित आराजी में वादीगण का हक निहित है। अतः न्यायहित में आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल मेरमातालाब तहसील अटरू की खाता संख्या 197 की कुल किता 1 का रकबा 1.30 है0 का हिस्सा $1/3$ में वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा $1/15 - 1/15$ एवं खाता संख्या 196 की कुल किता 2 का रकबा 0.70 है0 का हिस्सा $1/4$ में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा $1/20 - 1/20$ एवं खाता संख्या 195 की कुल किता 4 का रकबा 3.21 है0 का हिस्सा $1/7$ में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा $1/35 - 1/35$ व खाता संख्या 164 की कुल किता 4 का रकबा 2.78 है0 का हिस्सा $2/3$ में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा $2/15 - 2/15$ एवं खाता संख्या 159 की कुल किता 5 का रकबा 3.13 है0 का हिस्सा पूर्ण में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा $1/5 - 1/5$ में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को राजीनामा के अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। भूमि की किस्म यथा गै0मु0 छतरी, गै0मु0 रास्ता, गै0मु0 खाल का नोट खाते में यथावत रखा जावें। तहसीलदार अटरू संबंधित खातेदार द्वारा बैंक का रहन का ऋण जमा कराये जाने के पश्चात उक्त अनुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 76/2021

उनवान

1. फूलचन्द आयु 53 वर्ष पुत्र बिरधीलाल जाति धाकड
2. मांगीलाल नागर आयु 45 वर्ष पुत्र बिरधीलाल जाति धाकड
3. रघुवीर नागर आयु 38 वर्ष बिरधीलाल जाति धाकड
4. कृष्णमुरारी आयु 46 वर्ष बिरधीलाल जाति धाकड निवासीगण मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

वादीगण

बनाम

1. बिरधीलाल आयु 73 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति धाकड
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनईX..... रुबरू.....X.....

बहाजिर :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादी:- विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल

मिनजानित मुदई रुबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एंव माल मेरमातालाब तहसील अटरू की खाता संख्या 197 की कुल किता 1 का रकबा 1.30 है0 का हिस्सा 1/3 में वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/15 - 1/15 एवं खाता संख्या 196 की कुल किता 2 का रकबा 0.70 है0 का हिस्सा 1/4 में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/20 - 1/20 एवं खाता संख्या 195 की कुल किता 4 का रकबा 3.21 है0 का हिस्सा 1/7 में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/35 - 1/35 व खाता संख्या 164 की कुल किता 4 का रकबा 2.78 है0 का हिस्सा 2/3 में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 2/15 - 2/15 एवं खाता संख्या 159 की कुल किता 5 का रकबा 3.13 है0 का हिस्सा पूर्ण में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/5 - 1/5 में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को राजीनामा के अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। भूमि की किस्म यथा गै0मु0 छतरी, गै0मु0 रास्ता, गै0मु0 खाल का नोट खाते में यथावत रखा जावें। तहसीलदार अटरू संबंधित खातेदार द्वारा बैंक का रहन का ऋण जमा कराये जाने के पश्चात उक्त अनुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)

उप खण्ड अधिकारी

अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....

..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करुंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 27.02.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)